भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1917

10 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

सरकार के स्वामित्व वाली इस्पात कंपनियों का कार्य-निष्पादन

1917. डॉ. फौजिया खान:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान सरकार के स्वामित्व वाली इस्पात कंपनियों ने कितना राजस्व अर्जित किया;

(ख) क्या वर्ष 2014 के बाद से सरकार के स्वामित्व वाली इस्पात कंपनियों का लाभ कम हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन इस्पात निर्माण के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कार्यरत हैं, नामतः स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)। पिछले पाँच वर्षों के दौरान सेल तथा आरआईएनएल द्वारा अर्जित राजस्व का विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख) और (ग): इस्पात उद्योग ने उधारी पर उच्चतर ब्याज दरों तथा उच्चतर अवमूल्यन के साथ माँग में कमी, अधिक्षमता, सस्ते आयातों, कोकिंग कोयले की कीमतों में अंतर के कारण वैश्विक रूप से तेज मंदी का सामना किया है, जिसने 2015-16 से 2017-18 के दौरान कंपनियों की आय को प्रभावित किया है। कंपनियों ने बाद में अपने घाटों में कमी की और 2018-19 के दौरान कुछ लाभ अर्जित किया। 2019-20 के दौरान सेल लाभ की स्थिति में रहा परंतु आरआईएनएल को कंपनी के लंबे इस्पात उत्पादों की माँग में कमी के कारण आंशिक रूप से घाटे का सामना करना पड़ा।

(घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है। सरकार ने स्वदेशी इस्पात उद्योग के विकास को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय किए हैं, यथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 को अधिसूचित करना, जिसके माध्यम से खनन पट्टों को प्रदान करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाना, इस्पात पर सीमा-शुल्क की उच्चतम दरों में परिवर्तन तथा रक्षोपाय शुल्कों को लागू करना, इस्पात उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्कों को अधिसूचित करना तथा गैर-मानकीकृत इस्पात आयात तथा विनिर्माण आदि को रोकने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को जारी करना शामिल हैं।

****

अनुलग्नक – I

दिनांक 10.03.2021 को उत्तरार्थ राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1917 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

सेल तथा आरआईएनएल द्वारा अर्जित राजस्व

(करोड़ रुपये में)

सीपीएसई का नाम	2015-16			2016-17			2017-18			2018-19			2019-20		
	प्रचालन से अर्जित राजस्व	पीबीटी	पीएटी	प्रचालन से अर्जित राजस्व	पीबीटी	पीएटी	प्रचालन से अर्जित राजस्व	पीबीटी	पीएटी	प्रचालन से अर्जित राजस्व	पीबीटी	पीएटी	प्रचालन से अर्जित राजस्व	पीबीटी	पीएटी
सेल	43875	(-)7008	(-)4021	49767	(-)4851	(-)2833	58962	(-)759	(-) 482	66967	3338	2179	61661	3171	2022
आरआईएनएल	10132.90	(-)1417.23	(-)1420.64	12418.74	(-)1690.49	(-)1263.16	14607.18	(-)1911.45	(-)1369.01	20492.03	(-) 306.89	96.71	15920.46	(-)4287.51	(-) 3910.17